

समाहरणालय, दरभंगा
(जिला स्थापना शाखा)
लिपिक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की विवरणी

दिनांक 26.11.13 को जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में आयोजित समाहरणालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों के पाक्षिक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

क्र० सं०	आरोपी कर्म का नाम	पदनाम एवं कार्यालय का नाम	वर्तमान में निलंबित हैं या नहीं	सेवानिवृत्ति की तिथि	संचालन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	उपस्थापन पदाधिकारी	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ होने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री वासुदेव भगत	लिपिक कुशेश्वर स्थान अंचल सम्प्रति अंचल बहेड़ी	12.8.2006 से निलंबित है।	31.01.2014	श्री प्रिय रंजन राजू भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा।	—	कुशेश्वर स्थान अंचल में पदस्थापन के दौरान राशि के गबन का आरोप	इस विभागीय कार्यवाही में आरोपी कर्म से प्राप्त आवेदन पर अंचल अधिकारी कुशेश्वर स्थान से प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो प्राप्त हो चुका है। संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया की एक पक्ष के अंदर मंतव्य अंकित कर अभिलेख भेजी जाय।
2	श्री राज किशोर ठाकुर	लिपिक, तारडीह प्रखंड सम्प्रति मनीगाछी अंचल	नहीं	31.12.2027	श्री कुमार विवेकानन्द, वरीय उप समाहर्ता, दरभंगा।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारडीह	अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहना आदेश की अवहेलना, स्वैच्छाचारिता एवं गैर जिम्मेदाराना का आरोप।	संचालन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर निष्पादित कर अभिलेख भेजने की कार्रवाई की जाय।
3	श्री दयानाथ चौधरी	प्रधान लिपिक, जिला सामान्य प्रशाखा, दरभंगा सम्प्रति जिला भू-अर्जन शाखा	नहीं	30.06.2019	उप विकास आयुक्त, दरभंगा	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा	जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा में प्रतिनियुक्त के दौरान वाहन के स्वरूप परिवर्तन के कारण राजस्व हानी का आरोप।	संचालन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी उपस्थापन पदाधिकारी हैं। आरोप रूट-कट का मामला है। निदेश दिया गया कि एक पक्ष के अंदर संचालन कार्य पूर्ण कर अभिलेख भेजने की कार्रवाई की जाय।
4	श्री मनोज कुमार चौधरी	लिपिक, बहेड़ी अंचल सम्प्रति बेनीपुर अनुमंडल प्रतिनियुक्त बेनीपुर प्रखंड।	नहीं	—	श्री कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा।	अंचल अधिकारी बहेड़ी	ट्रेप केश में निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तारी का आरोप।	स्थापना सहायक द्वारा बताया गया कि अभिलेख प्राप्त हो चुका है। द्वितीय कारण-पृच्छा के साथ सुनवाई की तिथि निर्धारित हेतु संचिका उपस्थापित है।
5	श्री मति चंचला सिंहा	लिपिक, केवटी प्रखंड	नहीं	30.04.2018	श्री दिनेश कुमार, अपर समाहर्ता, दरभंगा।	—	पदस्थापन स्थान केवटी प्रखंड में योगदान नहीं देने एवं पत्र लेने से इंकार करने के साथ-साथ आदेश की अवहेलना का आरोप।	इस विभागीय कार्यवाही में दिनांक-29.11.2013 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।
6	श्री विष्णु कान्त राम	लिपिक, भू0सु0कार्यालय, सदर, दरभंगा।	नहीं	31.12.2020	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा।	—	किरतपुर प्रखंड के पदस्थापन काल में विभिन्न मदों में ली गई अग्रिम राशि का समायोजन नहीं कराने का आरोप।	विभागीय कार्यवाही अभिलेख पर दिनांक- 29.11.2013 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

